EV Speed Post RTI Matter

No.17012/20/2011-IS-I/CFT-Cell. Ministry of Home Affairs IS Division (CFT Cell)

North Block New Delhi, Dated 11 December, 2013.

To

Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma, R/o Rasulpur Rohta, Tehsil & District Meerut, Uttar Pradesh

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Madam,

Please refer to your application dated 27.09.2013 received in the CFT Cell of the IS-I Division of the Ministry of Home Affairs on 09.12.2013 seeking information under Right to Information Act, 2005. The CFT Cell of the IS-I Division has no information to furnish in this regard.

The Appellate Authority under the Right to Information Act, 2005 for the IS-I Division is Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (IS-I).

(USP Kushwaha) Director (CFT) and CPIO

Copy to:-

Admn.II Section, Ministry of Home Affairs, w.r.t. their communication No.A.42012/81/2013-Ad-II dated 3rd December, 2013..

File No.A.42012/81/2013-Ad.Il Government of India / Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

New Delhi the 3rd December, 2013

To

37

Ms. Rubi Sharma D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur Rohta Tehsil & District Meerut UTTAR PRADESH

Subject:-

Information sought by Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur

Rohta, Tehsil & District Meerut, UP under Right to Information Act, 2005 - reg.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 27-09-2013-2013 received in this Division on 08-11-2013 vide RTI Section's OM No.A-43020/01/2013-ETI dated 29-10-2013 seeking information and detailed reply with regard to a Public Notice reported to have been displayed on a Plot in Meerut (UP) by one Shri Naresh Chand Sharma, S/o Shri Surajbal Sharma, a person alleged to be an MHA Official. It may be stated that Ad.II Section is dealing with the Non-Gazetted Officials of MHA (Group C & Group B) only and no such official is working under the administrative control of Ad.II Section. As such, the information sought under the RTI Act, 2005 in this regard may please be treated as NIL.

- 2. However, some information may be available with other Divisions also. Therefore, your application is also forwarded to CPIOs of MHA for providing information, if available with them, to you.
- 3. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn./C&PG), Ministry of Home Affairs, Room No.194, North Block, New Delhi-110001, (Tel.No.23093178), and the appeal, if any, can be made within 30 days of the issue of this reply.

Yours falthfully,

Deputy Secretary (E) 8: CPIC

Tel.[45,2809.4876

Copy tea-

 All CDNOs in Divisions of RiMA (except Admin. Edvision, Dir (Perc)/EG (Perc).) with endocures.

in the state of th

A (NY) [7] (II DARAH) Shepasi Tulakanskan (II) (II Kili SINOTE(B)

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार गह सन्नालय

直流从流流道: Erg. 142667-14 11/11/2013

नई दिल्लो, दिनाक : 🎖 🦳 🗤

कार्यालय जाएन

विषयः स्चना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमर्ता/सुश्री... ਨਿੱਕੀ ਕੈਂਗਿ आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचूना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ਸ਼ਰੂਪ ਸੇ *ਐ/ਐਸ਼ਰੀ/ਸੂਐ 2*7**ਰ ਟੈਲੀ ੇ ਕੇ** ਜ਼ਿਵਾਂ ²7 / 1 /2013 के आवेदन (इह से अतरण द्वारा दिनाक OI / IO (2013 को प्राप्त) को प्रेशिधन प्रिमार्ग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मागी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है।निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

सं 27090 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से सबंध रखता/रखती है।

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(१) निर्देशका त्यात्रिका शृष्ट मन्यालम, नाची कलाका, नाही हिल्ली (३) उपसाचेन व्यात्रिका, शृष्ट मन्यालम, नाची कलाका, नहीं हिल्ली (३) इनियाश हार्यकारी (एका १०) शृह मन्यालय, नाची कलाका, नहीं हिल्ली (५) अनुभाग आरोकारी (एका ना) शृह मन्यालय नाची कलाका, नहीं हिल्ली प्रति स्वनार्थ प्रेषित: (5) अनुभाग जादी कार्य कार्य हिल्ली

श्रीमती/मुनी क्रवी शामी (प्रजी- भी अवीक समार)

मेरठ - उत्तर पद्या न Eालकाम्हा, जेन्द्रविमालीनी, शलीन०-२, अमारखेता, मेर्ड

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

O CONTRACTOR SECTION BOOK

BILD TO SECTION BOOK

THEFT.

शी मान जन सूचना अधिकारी/ सभिवव गृह मत्रां लव

भारत सरकार , नई दिल्ली ।

वैध्यः - जन सूचना अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत सूचना पृण्टत करने

ੈ ਜੂੜੀ

पृथनः - क्या आपके मंत्रालय हारा ग्राम रसूलपुर रहेटा तहा व जिला मेरल में) स्थित भूमि खसरा संख्या - 45, खसरा संख्या - 5543, ब 556 ब, व खसरा संख्या - 557 व , 554 ब क्या विवादित जमीन है , और मुकदमा कोर्ट में विवाहराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्भारी निरिक्ष अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पृत्र स्व॰ सूरजबल शर्मा के माध्यम से पृकाशित कराई है , जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को पृकाशित कर यह भानित पैदा की है कि जैसे गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्काशित की

्रु यदि आपके मन्त्रालय द्वारा न्रेश यन्द्र शर्मा को इस झन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तां उन्होंने गृह मन्त्रालय भारत सरकार ,आजा ते . सूचना प्रकाशित कर अपने यद का दुल्पयांग के व्हानित कर अपने यद का दुल्पयांग के व्हानित कर अपने यद का दुल्पयांग के व्हानित कर अपने यद का दुल्पयांग के विद्या स्थापित कर का है . के अस्वत्य य

गरी है। इसका विस्तार पूर्वन उत्तर विया नार्वे।

यह कि नरेश चन्द्र अमि से वह दस्तावेजी साक्ष्य मागे जावे कि उपः विभित्त जमीन कैसे शिवनादित है। और किस न्यायालय में मुकदमा विवाराधीन है। योद वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिथ्या त्थ्यों गृह मन्त्राल्य भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन सूचना पुका शित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टी करण लिया जावे, तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र हमा के विल्ह की जावे । की सूचना अविलिम्ब पृथिना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्राधीनि को उत्तर पेषित करते हुये उपलब्ध करायी जावै ।

दिनांक:- २६-०१-२०।उ

.संतरनकः-

|- पी० औ० अंका 10/-रु

- 17 F . 841722

िदनाँक :- 27/9/13

ह्वी इमा पूत्री श्री आग्नेक लुनार शर्मा

नि॰ गाम रसूलपुर रोहटा ,पर० तह० व

जिला मैरठ । हाल पता- ६। जे॰ तुलसी

कालीनी, गली नं॰-2, कंकरऐंडा, मेरट।

2- सूचना जन साक्षारण के प्रकाशन

बोर्ड की परेटी।